

राजस्थान सरकार
कार्यालय सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति
(नगर पालिका/परिषद/निगम से संबंधित) एवं वरिष्ठ नगर नियोजक

निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग, राज० जयपुर

(जी.3, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी-स्कीम जयपुर-302005)
टेलीफैक्स 0141-2222403, ईमेल- stpdlb@gmail.com

क्रमांक : F.59 DLB/STP/SLC-CILU/Meeting-III/15/ 26/5 **दिनांक : ३०.१०.२०१५**

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक DLB/STP/SLC/CILU/14/01 दिनांक 11.12.2014 एवं संशोधित अधिसूचना क्रमांक DLB/STP/SLC/CILU/ 14/47 दिनांक 18.12.2014 के क्रम में नगर निगम/परिषद/पालिकाओं हेतु गठित राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति की तृतीय बैठक दिनांक 10.09.2015 को 02:30 बजे निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग के सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता डॉ. मन्जीत सिंह, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. द्वारा की गई। बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित हुये :-

- श्री पुरुषोत्तम बियाणी, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर। (सदस्य)
 - श्री आर.के. विजयवर्गीय, सदस्य सचिव एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर। (सदस्य सचिव)
 - संबंधित नगरीय निकायों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशासी अधिकारी/प्रतिनिधि (संलग्न परिशिष्ट 'अ') (सदस्य)
 - नगर नियोजन विभाग से निम्न अधिकारी उपस्थित हुए :-
 - क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर
 - क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक कोटा
 - क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक अजमेर
 - क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर
 - उप नगर नियोजक, उदयपुर
 - सहायक नगर नियोजक, बीकानेर (प्रतिनिधि वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर)
 - सहायक नगर नियोजक, जयपुर (प्रतिनिधि वरिष्ठ नगर नियोजक, जयपुर)
- समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

01.	प्रस्तुत प्रकरणों की कुल संख्या	76
02.	स्वीकृत प्रकरणों की संख्या	63
03.	अन्य दस्तावेजों के अभाव में आगामी बैठक में प्रस्तुत किये	06
04.	निरस्त प्रकरणों की संख्या	03
05.	स्थानीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति को अधिकृत किया	04

बैठक में सर्वप्रथम प्रमुख शासन सचिव द्वारा गत बैठक दिनांक 30.04.2015 में लिये गये निर्णय की पालना बाबत् चर्चा की गयी एवं समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को निर्णय की कियान्विति रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया एवं आगामी बैठक से पूर्व Action Taken Report उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा एवं लिये गये निर्णयों का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण
राज्य सरकार अनुमोदन पश्चात् संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

Xhankit 30/10/2015
(आर.के. विजयवर्गीय)
वरिष्ठ नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव

क्रमांक : F.59 DLB/STP/SLC-CILU/Meeting-III/15/२६१६-१८ दिनांक : ३०-१०-१५

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य नगर नियोजक, राष्ट्रीय राजधानीय क्षेत्र (एनसीआर), राजस्थान, जयपुर।

Xhankit 30/10/2015
(आर.के. विजयवर्गीय)
वरिष्ठ नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव

क्रमांक : F.59 DLB/STP/SLC-CILU/Meeting-III/15/२६१९-७९ दिनांक : ३०-१०-२०१५

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर एवं उप नगर नियोजक, अलवर उप क्षेत्र।
2. आयुक्त, नगर परिषद, चुरू, हनुमानगढ़, बाड़मेर, झुंगरपुर, चित्तोड़गढ़, किशनगढ़ गंगापुरसिटी, बारां।
3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, पुष्कर, देवली, गंगापुर (भीलवाड़ा), मालपुरा,, गुलाबपुरा, रावतसर, श्री झुंगरगढ़, सरदारशहर, नोखा, भादरा, अनुपगढ़, फुलेरा, साम्भर लेक, उदयपुरवाटी, मण्डावा, शाहपुरा, नीमकाथाना, सुमेरपुर, तखतगढ़, सादड़ी, पिण्डवाड़ा, फलोदी, अन्ता, निम्बाहेडा, देवगढ़, कानोड़, नाथद्वारा, बड़ी सादड़ी, सलूम्बर, नंदबई, डीडवाना, रायसिंहनगर, सुरतगढ़, पीलीबंगा, कोटपूतली।

Xhankit 30/10/2015
(आर.के. विजयवर्गीय)
वरिष्ठ नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव

राजस्थान सरकार

कार्यालय सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति
(नगर पालिका/परिषद/निगम से संबंधित) एवं वरिष्ठ नगर नियोजक

निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग, राज० जयपुर

(जी.३, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी-स्कीम जयपुर-302005)
टेलीफौक्स 0141-2222403, ईमेल- stpdlb@gmail.com

क्रमांक : F.59 DLB/STP/SLC-CILU/Meeting-III/15/2557-63 दिनांक : ३०.१०.२०१५

वरिष्ठ नगर नियोजक,
अजमेर/बीकानेर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर
उप नगर नियोजक,
अलवर क्षेत्र, अलवर।

विषय:-नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की तृतीय बैठक दिनांक 10.09.2015 का ऐजेण्डावार कार्यवाही विवरण के संबंध में।

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की तृतीय बैठक दिनांक 10.09.2015 का ऐजेण्डावार कार्यवाही विवरण राज्य सरकार के अनुमोदन पश्चात् अग्रिम कार्यवाही हेतु जारी किया जा रहा है।

यद्यपि सम्पूर्ण ऐजेण्डों का समूचित परीक्षण किया गया है। तथापि सहवन से कोई त्रुटि रह जाती है तो अविलम्ब इस कार्यालय को सूचित करने का श्रम करें।

३०/१०/२०१५

(आर.के. विजयवर्गीय)

वरिष्ठ नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव

क्रमांक : F.59 DLB/STP/SLC-CILU/Meeting-III/15/2564-2614 दिनांक : ३०-१०-२०१५
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

- वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर एवं उप नगर नियोजक, अलवर उप क्षेत्र।
- आयुक्त, नगर परिषद, चुरू, हनुमानगढ़, बाड़मेर, डुंगरपुर, चित्तोड़गढ़, किशनगढ़ गंगापुरसिटी, बारां।
- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, पुष्कर, देवली, गंगापुर (भीलवाड़ा), मालपुरा, गुलाबपुरा, रावतसर, श्री डूंगरगढ़, सरदारशहर, नोखा, भादरा, अनुपगढ़, फुलेरा, साम्भर लेक, उदयपुरवाटी, मण्डावा, शाहपुरा, नीमकाथाना, सुमेरपुर, तखतगढ़, सादड़ी, पिण्डवाड़ा, फलोदी, अन्ता, निम्बाहेड़ा, देवगढ़, कानोड़, नाथद्वारा, बड़ी सादड़ी, सलूम्बर, नंदबई, डीडवाना, रायसिंहनगर, सुरतगढ़, पीलीबंगा, कोटपूतली।

३०/१०/२०१५

(आर.के. विजयवर्गीय)

वरिष्ठ नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव

ऐजेण्डा नं. 33/डीएलबी/एसटीपी/जेडीजेड/सुमेरपुर

	शहर कस्बे का नाम	सुमेरपुर
1.	आवेदक का नाम	श्रीमति शकुन्तला पत्नि विजय मेवाड़ा, श्रीमति मंजु पत्नि सुभाष मेवाड़ा, श्रीमति कंचन पत्नि भरत मेवाड़ा एवं श्रीमति मोना पत्नि हितेन्द्र मेवाड़ा
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम अणगौर का खसरा नं. 185, 186, 187 कुल किता 3 कुल रकबा 1.23 हैक्टेयर में से 2637.41 वर्गमीटर
3.	क्षेत्रफल	0.2637 है
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	आवासीय
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	व्यावसायिक प्रयोजनार्थ
6.	भू-स्वामित्व की स्थिति	अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका सुमेरपुर के अनुसार वैध है।
7.	प्रकरण के तथ्य :-	<ol style="list-style-type: none"> प्रश्नगत भूमि नगर पालिका, सुमेरपुर के नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2031 में आवासीय भू-उपयोग दर्शित है। मास्टर प्लान-2031 दिनांक 17.01.2014 को लागू किया गया, जिसे 2 वर्ष पूर्ण नहीं हुए हैं। आवेदित स्थल मौके पर सुमेरपुर से जवाई बांध को जाने वाली सड़क पर स्थित है। मास्टर प्लान अनुसार उक्त सड़क का मार्गाधिकार 100 फीट है। पत्रावली में भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आपत्ति प्रकाशन नहीं है। अधिशाषी अधिकारी द्वारा प्रकरण में भाग 'ब' में आवासीय से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है। वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर के पत्र दिनांक 02.02.2015 के अनुसार मास्टर प्लान को लागू 2 वर्ष नहीं होने के कारण भू-उपयोग परिवर्तन की राय नहीं दी गई है। गत बैठक दिनांक 30.04.2015 में लिये गये निर्णय अनुसार प्रकरण में सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
8.	उपरोक्त तथ्यों, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका सुमेरपुर एवं प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।	

समिति का निर्णय :- समिति द्वारा उपरोक्त तथ्यों के साथ प्रकरण को पुनः विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। ऐजेण्डा का अवलोकन किया गया एवं यह तथ्य नोट किया गया कि प्रकरण में वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर की राय प्राप्त नहीं हुई है। अतः वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर से प्रकरण का परीक्षण भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में कराकर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।


 वरिष्ठ नगर नियोजक
 निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
 राजस्थान राजधानी, जयपुर

ऐजेण्डा नं. 34/डीएलबी/एसटीपी/जेडीजेड/सुमेरपुर

	शहर कस्बे का नाम	सुमेरपुर
1.	आवेदक का नाम	श्री महेन्द्र पाल सिंह पुत्र श्री फतेह सिंह
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम रामनगर का खसरा नं. 80 रकबा 2.80 हैक्टेयर में से 5000 वर्गमीटर
3.	क्षेत्रफल	0.50 हैक्टेयर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	आवासीय
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	व्यावसायिक (होटल) प्रयोजनार्थ
6.	भू-स्वामित्व की स्थिति	अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका सुमेरपुर के अनुसार वैध है।
7.	प्रकरण के तथ्य :-	<ol style="list-style-type: none"> प्रश्नगत भूमि नगर पालिका, सुमेरपुर के नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2031 में आवासीय भू-उपयोग में दर्शित है। मास्टर प्लान-2031 दिनांक 17.01.2014 को लागू किया गया, जिसे 2 वर्ष पूर्ण नहीं हुए हैं। आवेदित स्थल मौके पर सुमेरपुर से जवाई बांध को जाने वाली सड़क पर स्थित है। मास्टर प्लान अनुसार उक्त सड़क का मार्गाधिकार 200 फीट है। मौके पर सड़क के मध्य से 85 फीट दूरी पर आवेदित स्थल है। अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, सुमेरपुर द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना प्रकाशित नहीं करवाई गई है। अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, सुमेरपुर द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा भाग 'ब' में नहीं की गई है। वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर के पत्र दिनांक 22.08.2014 के अनुसार राय में असहमति दी गई है।

समिति का निर्णय :- उपरोक्त तथ्यों, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, सुमेरपुर एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली, ऐजेण्डा बिन्दुओं, अधिशासी अधिकारी, सुमेरपुर एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर द्वारा प्रेषित अभिशंषा एवं रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तथा निम्न शर्तों के अध्याधीन राजस्व ग्राम रामनगर का खसरा नं. 80 रकबा 2.80 हैक्टेयर में से 5000 वर्गमीटर भूमि का आवासीय से व्यावसायिक (होटल) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन जारी किये जाने से पूर्व प्रकरण के संबंध में सार्वजनिक आपत्ति सूचना का प्रकाशन किया जाकर प्रक्रिया पूर्ण की जानी होगी एवं भूमि के संबंध में वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर की स्पष्ट तकनीकी अभिशंषा प्राप्त की जावेगी, तत्पश्चात् ही भू-उपयोग परिवर्तन मान्य होगा।
- आवेदित स्थल मौके पर सुमेरपुर से जवाई बांध को जाने वाली सड़क पर स्थित है। मास्टर प्लान अनुसार उक्त सड़क का मार्गाधिकार 200 फीट है। अतः मास्टर प्लान के प्रस्ताव अनुसार सड़क के मध्य से 100 फीट में आने वाली भूमि का निःशुल्क समर्पण कराया जाना आवश्यक होगा।
- भूमि पर व्यावसायिक (होटल) प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदित कर जारी किये जावेगे।
- भवन मानचित्र के अनुमोदन के समय भवन में L.E.D. लाईट्स व Water Harvesting Structure, ठोस कचरा प्रबन्धन का समायोजन किया जावेगा।
- नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।
- मौके पर भूमि के क्षेत्रफल आदि की गणना एवं भूमि के स्वामित्व की जांच नगरीय निकाय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।
- उपरोक्त समस्त शर्तों की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

XmtvD

वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय दिल्ली
राजस्थान राज्य, जयपुर

ऐजेण्डा नं. 35/डीएलबी/एसटीपी/जेडीजेड/तखतगढ़

	शहर कस्बे का नाम	तखतगढ़
1.	आवेदक का नाम	श्रीमति राधा पत्नि श्री मोहन लाल एवं श्रीमति लीला पत्नि श्री कान्ति लाल
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम तखतगढ़ का खसरा नं. 604/2
3.	क्षेत्रफल	2.90 हैक्टेयर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	भण्डारण एवं गोदाम
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	आवासीय प्रयोजनार्थ
6.	भू-स्वामित्व की स्थिति	अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, तखतगढ़ के अनुसार वैध है।
7.	<u>प्रकरण के तथ्य :-</u>	<p>1. प्रश्नगत भूमि का तखतगढ़ के नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2031 में भण्डारण एवं गोदाम तथा प्रस्तावित रिंग रोड में दर्शित है। मास्टर प्लान-2031 दिनांक 07.11.2012 को लागू किया गया, जिसे 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आवेदित भूमि तखतगढ़ से जालौर जाने वाली उप प्रमुख सड़क पर स्थित है। मास्टर प्लान अनुसार उक्त सड़क का मार्गाधिकार 80 फीट प्रस्तावित है। आवेदित भूमि की पश्चित दिशा में रिंग रोड प्रस्तावित है, जिसका मार्गाधिकार 200 फीट मास्टर प्लान में प्रस्तावित है।</p> <p>2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, तखतगढ़ द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका में दिनांक 17.04.15 को प्रकाशित करवाई गई है। जिसमें निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।</p> <p>3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, तखतगढ़ द्वारा भण्डारण एवं गोदाम तथा प्रस्तावित रिंग रोड से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा भाग "ब" में की गई है।</p> <p>4. वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर के पत्र दिनांक 20.04.15 के द्वारा कतिपय शर्तों के अध्याधीन भण्डारण एवं गोदाम तथा प्रस्तावित रिंग रोड से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।</p>
8.	<u>प्रस्ताव :-</u>	<p>उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.10 के तहत प्रश्नगत भूमि का भण्डारण एवं गोदाम तथा प्रस्तावित रिंग रोड से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नहीं है।</p> <p>अतः निम्न शर्तों के अध्याधीन आवेदित भूमि के भण्डारण एवं गोदाम तथा प्रस्तावित रिंग रोड से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :-</p> <p>1. आवेदित भूमि तखतगढ़ से जालौर जाने वाली उप प्रमुख सड़क पर स्थित है। मास्टर प्लान अनुसार उक्त सड़क का मार्गाधिकार 80 फीट प्रस्तावित है। 80 फीट का मार्गाधिकार कायम किये जाने हेतु सड़क के मध्य से 40 फीट भूमि प्रार्थी द्वारा नगर पालिका के हक में निःशुल्क समर्पित की जावेगी। तथा आवेदित भूमि की पश्चित दिशा में रिंग रोड प्रस्तावित है। मास्टर प्लान में रिंग रोड जिसका मार्गाधिकार 200 फीट प्रस्तावित है, लगते हुये गुजरती है। आवेदित भूमि से प्रस्तावित 200 फीट रिंग रोड में आने वाली भूमि प्रार्थी द्वारा पालिका के हक में निःशुल्क समर्पित की जावेगी। एवं साथ ही वृक्षारोपण पट्टी की सुनिश्चिता नगर पालिका स्तर पर की जावें।</p>

समिति का निर्णय :- उपरोक्त तथ्यों, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, तखतगढ़ एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली, ऐजेण्डा बिन्दुओं, अधिशाषी अधिकारी, तखतगढ़ एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर द्वारा प्रेषित अभिशंषा एवं रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तथा निम्न शर्तों के अध्याधीन राजस्व ग्राम तखतगढ़ का खसरा नं. 604/2 क्षेत्रफल 2.90 हैक्टेयर भूमि का भण्डारण एवं गोदाम से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया :-

1. आवेदित भूमि तखतगढ़ से जालौर जाने वाली उप प्रमुख सड़क पर स्थित है। मास्टर प्लान अनुसार उक्त सड़क का मार्गाधिकार 80 फीट प्रस्तावित है। 80 फीट का मार्गाधिकार कायम किये जाने हेतु सड़क के मध्य से 40 फीट भूमि प्रार्थी द्वारा नगर पालिका के हक में निःशुल्क समर्पित की जावेगी।

तथा आवेदित भूमि की पश्चित दिशा में रिंग रोड प्रस्तावित है। मास्टर प्लान में रिंग रोड जिसका मार्गाधिकार 200 फीट प्रस्तावित है, लगते हुये गुजरती है। आवेदित भूमि से प्रस्तावित 200 फीट रिंग

रोड में आने वाली भूमि प्रार्थी द्वारा पालिका के हक में निःशुल्क समर्पित की जावेगी एवं साथ ही वृक्षारोपण पट्टी में किसी प्रकार का निर्माण अनुज्ञेय नहीं होगा। इस सम्बन्ध में नगरीय विकास विभाग

- द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.3(77)नविवि/3/2010/पार्ट-।। जयपुर दिनांक 25.03.2013 के अनुसार
कार्यवाही की जावेगी।
2. योजना मानचित्रों का अनुमोदन टाउनशिप पॉलिसी-2010 के तहत नियमानुसार कराया जाना होगा।
 3. योजना में आंतरिक सड़कों के विकास में ऊर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा।
 4. योजना में अफर्डेबल हाऊसिंग पॉलिसी-2009 के प्रावधानों के तहत EWS/LIG हेतु निर्धारित प्रतिशत के भूखण्ड/भूमि/फ्लैट्स आरक्षित रखे जाने होंगे। जिनका निस्तारण राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जावेगा। उक्त में से 300 वर्गमीटर भूमि शहरी क्षेत्र के आवासहीन गरीब वर्ग को आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नगरीय निकाय को निःशुल्क समर्पित की जावेगी। इस भूमि पर नगरीय निकाय द्वारा केन्द्र/राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से रेन बसरों का निर्माण किया जावेगा।
 5. योजना में ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा। नगरीय निकाय द्वारा कचरा संग्रहण की सुगमता की दृष्टि से उक्त स्थल की स्थिति योजना में मुख्य सड़क के समीप रखी जावेगी। उक्त भूमि निःशुल्क नगर पालिका को समर्पित की जावेगी। वेस्ट वाटर रिसाईकिलंग एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान रखा जावेगा।
 6. योजना के आन्तरिक विकास की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी तथा टाउनशिप पॉलिसी-2010 अनुसार आन्तरिक विकास के समस्त मानदण्डों की सुनिश्चिता की जानी होगी।
 7. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।
 8. भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षैत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी।
 9. उपरोक्त समस्त शर्तों की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

AKHILESH
दृष्टि नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
शासकीय राज्य, जयपुर

ऐजेण्डा नं. 36/डीएलबी/एसटीपी/जेडीजेड/तखतगढ़

	शहर कस्बे का नाम	तखतगढ़
1.	आवेदक का नाम	श्री जेसा राम पुत्र श्री मगा राम मीणा
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम तखतगढ़ का खसरा नं. 616, 613, 613/1 कुल रक्बा 4.93 हैक्टेयर
3.	क्षेत्रफल	4.93 हैक्टेयर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	आवासीय प्रयोजनार्थ
6.	भू-स्वामित्व की स्थिति	अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, तखतगढ़ के अनुसार वैध है।
7.	<u>प्रकरण के तथ्य :-</u>	<p>1. प्रश्नगत भूमि नगर पालिका, तखतगढ़ के नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2031 में परिधि नियन्त्रण क्षेत्र में दर्शित है। मास्टर प्लान-2031 दिनांक 07.11.2012 को लागू किया गया, जिसे 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आवेदित भूमि तखतगढ़ से जालौर जाने वाली मुख्य सड़क (एस.एच. 16) पर स्थित है। मास्टर प्लान अनुसार 200 फीट मार्गाधिकार के बाद 100 फीट वृक्षारोपण पट्टी प्रस्तावित है।</p> <p>2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, तखतगढ़ द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका में दिनांक 17.04.15 को एवं संशोधित आपत्ति सूचना दिनांक 24.04.15 को प्रकाशित करवाई गई है। जिसमें निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।</p> <p>3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, तखतगढ़ द्वारा परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा भाग 'ब' में की गई है।</p> <p>4. वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर के पत्र दिनांक 20.04.15 के द्वारा कतिपय शर्तों के अध्यधीन परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।</p>
8.	<u>प्रस्ताव :-</u>	उपरोक्त तथ्यों के महेनजर प्रकरण में स्पष्ट मौका रिपोर्ट योजना में निर्माण की स्थिति के साथ वरिष्ठ नगर नियोजक जोधपुर जोन, जोधपुर की राय ली जाकर प्रकरण को आगामी बैठक में लिया जाना उचित होगा।

समिति का निर्णय :- समिति द्वारा उपरोक्त तथ्यों के साथ विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। ऐजेण्डा का अवलोकन किया गया एवं यह तथ्य नोट किया गया कि प्रकरण में योजना की स्पष्ट मौका रिपोर्ट एवं योजना में निर्माण की स्थिति के सम्बन्ध में वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर की राय प्राप्त कर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

[Signature]

वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय दिवाय
राजस्थान राजधानी, जयपुर

ऐजेण्डा नं. 37 / डीएलबी / एसटीपी / जेडीजेड / बाड़मेर

	शहर कस्बे का नाम	बाड़मेर
1.	आवेदक का नाम	श्रीमती लेखा मुन्दडा पत्नी श्री गिरीश कुमार
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	बाड़मेर मे स्थित महावीर नगर आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या सी जी 01 क्षेत्रफल 69' x 40'
3.	क्षेत्रफल	256.41 वर्गमीटर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	आवासीय
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	व्यावसायिक प्रयोजनार्थ
6.	भू-स्वामित्व की स्थिति	आयुक्त, नगर परिषद, बाड़मेर के अनुसार वैध है।
7.	प्रकरण के तथ्य :-	<ol style="list-style-type: none"> प्रश्नगत भूमि नगर परिषद, बाड़मेर के नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2031 में आवासीय भू-उपयोग दर्शित है। मास्टर प्लान-2031 दिनांक 02.08.2013 को लागू किया गया, जिसे 2 वर्ष पूर्ण हो गये हैं। आवेदित भूखण्ड महावीर नगर आवासीय योजना की मुख्य सड़क जिसकी चौड़ाई 80 फीट है, पर स्थित है। मौके पर चार दिवारी बनी हुई है। आयुक्त, नगर परिषद, बाड़मेर द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना एक समाचार पत्र में दिनांक 19.12.2014 को प्रकाशित की गई है। आयुक्त, नगर परिषद, बाड़मेर द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा भाग 'ब' में नहीं की गई है। वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर से राय प्राप्त नहीं हुई है। विभागीय पत्र दिनांक 24.08.2015 अनुसार प्रकरण में नगर परिषद द्वारा सूचना प्रेषित नहीं की गई है।
8.	उपरोक्त तथ्यों, आयुक्त, नगर परिषद, बाड़मेर एवं प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।	

समिति का निर्णय :- उपरोक्त तथ्यों, आयुक्त, नगर परिषद, बाड़मेर एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर की बैठक में की गई अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली, ऐजेण्डा बिन्दुओं, आयुक्त, नगर परिषद, बाड़मेर एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर द्वारा बैठक में की गई अभिशंषा एवं रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं यह तथ्य नोट किया गया कि प्रश्नगत भूखण्ड का क्षेत्रफल भू-उपयोग परिवर्तन के संन्दर्भ में स्थानीय अधिकारिता का है, अतः स्थानीय स्तर पर ही क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक से भवन विनियमों के तहत् परीक्षण पश्चात् प्रकरण में स्थानीय स्तर की भू-उपयोग परिवर्तन समिति को निर्णय लिए जाने हेतु अधिकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय दिग्गज
राजस्थान राजकारण, जयपुर

ऐजेण्डा नं. 38/डीएलबी/एसटीपी/जेडीजेड/सादडी

शहर कस्बे का नाम	सादडी
1. आवेदक का नाम	श्री भरत कुमार/वक्तावरमल जी जैन, श्री संजय बोहना, श्री गुलाब राम, श्री आकाश
2. खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम सादडी का खसरा नं. 3201, 3202 3204, 3205 कुल रकबा 3.76 हैक्टेयर
3. क्षेत्रफल	3.76 हैक्टेयर
4. संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	खुला क्षेत्र, पार्क, खेल का मैदान, स्टेडियम प्रयोजनार्थ
5. आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	आवासीय प्रयोजनार्थ
6. भू-स्वामित्व की स्थिति	अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका सादडी के अनुसार वैध है।
7. प्रकरण के तथ्य :-	<p>1. प्रश्नगत भूमि नगर पालिका, सादडी के नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2031 में खुला क्षेत्र, पार्क, खेल का मैदान, स्टेडियम प्रयोजनार्थ दर्शित है। मास्टर प्लान-2031 दिनांक 19.10.2011 को लागू किया गया, जिसे 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आवेदित भूमि सादडी हरि ओम कोलानी के पास व मगाई नदी के सहारे-सहारे स्थित है। प्रश्नगत भूमि सादडी से फलाना एवं सादडी से पिण्डवाड़ा जाने वाली मुख्य सड़कों के मध्य मास्टर प्लान की प्रस्तावित रिंग रोड पर स्थित हैं उक्त प्रस्तावित रिंग रोड का मार्गाधिकार मास्टर प्लान अनुसार 100 फीट प्रस्तावित है। तथा नगर पालिका द्वारा उक्त रिंग रोड के निर्माण हेतु कार्यादेश जारी कर दिये गये हैं।</p> <p>2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, सादडी द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना दो राज्य स्तरीय समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक नवज्योति में दिनांक 28.04.15 को प्रकाशित करवाई गई है। जिसमें निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।</p> <p>3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, सादडी द्वारा खुला क्षेत्र, पार्क, खेल का मैदान, स्टेडियम से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा भाग "ब" में की गई है।</p> <p>4. सहायक अभियन्ता जल संसाधन उप खण्ड बाली (खण्ड पाली) के पत्र दिनांक 06.04.15 द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ प्रस्तावित भूमि को नदी के बेड लेवल से काफी उंचाई पर नदी से प्रवाहित नहीं होना बताया गया है। तथा भूमि का उपयोग आवासीय किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है, की अभिशंषा की गई है।</p> <p>5. वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर के पत्र दिनांक 23.04.15 के द्वारा कतिपय शर्तों के अध्यधीन खुला क्षेत्र, पार्क, खेल का मैदान, स्टेडियम से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।</p>
8. प्रस्ताव :-	<p>उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 5 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.10 के तहत प्रश्नगत भूमि का खुला क्षेत्र, पार्क, खेल का मैदान, स्टेडियम से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नहीं है।</p> <p>अतः निम्न शर्तों के अध्यधीन आवेदित भूमि के खुला क्षेत्र, पार्क, खेल का मैदान, स्टेडियम से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :-</p> <p>1. आवेदित भूमि सादडी हरि ओम कोलानी के पास व मगाई नदी के सहारे-सहारे स्थित है। प्रश्नगत भूमि सादडी से फलाना एवं सादडी से पिण्डवाड़ा जाने वाली मुख्य सड़कों के मध्य मास्टर प्लान की प्रस्तावित सड़क पर स्थित हैं उक्त प्रस्तावित रिंग रोड का मार्गाधिकार मास्टर प्लान अनुसार 100 फीट प्रस्तावित है। तथा नगर पालिका द्वारा उक्त रिंग रोड के निर्माण हेतु कार्यादेश जारी कर दिये गये हैं। अतः सड़क में आने वाली भूमि का प्रार्थी द्वारा निःशुल्क समर्पण किया जावेगा।</p> <p>2. आवेदित भूमि सादडी हरि ओम कोलानी के पास व मगाई नदी के सहारे-सहारे प्रस्तावित 100 फीट रिंग रोड के बाहर स्थित है। अतः योजना के ले-आउट प्लान में प्रस्तावित रिंग रोड सहारे-सहारे टाउन प्लानिंग के अनुसार आवश्यक पार्क हेतु भूमि का विकास किया जावेगा, ताकि नदी का पर्यावरणीय दृष्टि से स्वच्छता रखी जा सके।</p>

समिति का निर्णय :- उपरोक्त तथ्यों, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, सादडी एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली, ऐजेण्डा बिन्दुओं, अधिशाषी अधिकारी, सादडी एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर द्वारा प्रेषित अभिशंषा एवं रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तथा निम्न शर्तों के अध्याधीन राजस्व ग्राम सादडी का खसरा नं. 3201, 3202 3204, 3205 कुल रकबा 3.76 हैक्टेयर भूमि का खुला क्षेत्र, पार्क,

खेल का मैदान, स्टेडियम प्रयोजनार्थ से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया :-

1. आवेदित भूमि सादड़ी हरि ओम कोलानी के पास व मगाई नदी के सहारे-सहारे स्थित है। प्रश्नगत भूमि सादड़ी से फलाना एवं सादड़ी से पिण्डवाड़ा जाने वाली मुख्य सड़कों के मध्य मास्टर प्लान की प्रस्तावित सड़क पर स्थित हैं उक्त प्रस्तावित रिंग रोड का मार्गाधिकार मास्टर प्लान अनुसार 100 फीट प्रस्तावित है। तथा नगर पालिका द्वारा उक्त रिंग रोड के निर्माण हेतु कार्यादेश जारी कर दिये गये हैं। अतः सड़क में आने वाली भूमि का प्रार्थी द्वारा निःशुल्क समर्पण किया जावेगा।
2. आवेदित भूमि सादड़ी हरि ओम कोलानी के पास व मगाई नदी के सहारे-सहारे प्रस्तावित 100 फीट रिंग रोड के बाहर स्थित है। अतः योजना के ले-आउट प्लान में प्रस्तावित रिंग रोड सहारे-सहारे टाउन प्लानिंग के अनुसार आवश्यक पार्क हेतु भूमि का विकास किया जावेगा, ताकि नदी का पर्यावरणीय दृष्टि से स्वच्छता रखी जा सके।
3. योजना मानविकारों का अनुमोदन टाउनशिप पॉलिसी-2010 के तहत नियमानुसार कराया जाना होगा।
4. योजना में आंतरिक सड़कों के विकास में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा।
5. योजना में अर्फार्डेबल हाऊसिंग पॉलिसी-2009 के प्रावधानों के तहत EWS/LIG हेतु निर्धारित प्रतिशत के भूखण्ड/भूमि/फ्लैट्स आरक्षित रखे जाने होंगे। जिनका निस्तारण राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जावेगा। उक्त में से 300 वर्गमीटर भूमि शहरी क्षेत्र के आवासहीन गरीब वर्ग को आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नगरीय निकाय को निःशुल्क समर्पित की जावेगी। इस भूमि पर नगरीय निकाय द्वारा केन्द्र/राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से रेन बसेरों का निर्माण किया जावेगा।
6. योजना में ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा। नगरीय निकाय द्वारा कचरा संग्रहण की सुगमता की दृष्टि से उक्त स्थल की स्थिति योजना में मुख्य सड़क के समीप रखी जावेगी। उक्त भूमि निःशुल्क नगर पालिका को समर्पित की जावेगी। वेस्ट वाटर रिसाईकिलंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान रखा जावेगा।
7. योजना के आन्तरिक विकास की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी तथा टाउनशिप पॉलिसी-2010 अनुसार आन्तरिक विकास के समस्त मानदण्डों की सुनिश्चिता की जानी होगी।
8. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।
9. भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षैत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी।
10. उपरोक्त समस्त शर्तों की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।


दरिष्ठ नगर नियोजक
सिद्धांशु राजीव नियाय दिव्यां
साम्राज्य राज्यांत छत्तीसगढ़

ऐजेण्डा नं. 39/डीएलबी/एसटीपी/जेडीजेड/पिण्डवाडा

	शहर कस्बे का नाम	पिण्डवाडा
1.	आवेदक का नाम	श्री लल्लू राम पुत्र श्री रेवाशंकर
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम पिण्डवाडा-2 का खसरा नं. 2519/4 रक्बा 3.15 बीघा
3.	क्षेत्रफल	0.95 हैक्टेयर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	आवासीय प्रयोजनार्थ
6.	भू-स्वामित्व की स्थिति	अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, पिण्डवाडा के अनुसार वैध है।
7.	<u>प्रकरण के तथ्य :-</u>	<p>1. प्रश्नगत भूमि नगर पालिका, पिण्डवाडा के नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2031 में परिधि नियन्त्रण क्षेत्र में दर्शित है। मास्टर प्लान-2031 दिनांक 18.05.2012 को लागू किया गया, जिसे 2 वर्ष पूर्ण नहीं हुए हैं। आवेदित भूमि पिण्डवाडा से आबू रोड जाने वाले राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या-14 पर स्थित है। आवेदित भूमि एक विद्युत लाईन से प्रभावित है। तथा आवेदित भूमि वृक्षारोपण पट्टी से भी प्रभावित है।</p> <p>2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, पिण्डवाडा द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना दो राज्य स्तरीय समाचार पत्र राष्ट्रदूत में दिनांक 21.01.2015 व दैनिक नवज्योति में दिनांक 20.01.15 को प्रकाशित करवाई गई है। जिसमें निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।</p> <p>3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, पिण्डवाडा द्वारा परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा भाग "ब" में की गई है।</p> <p>4. वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर के पत्र दिनांक 15.05.15 के द्वारा कठिपय शर्तों के अध्यधीन परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।</p>
8.	<u>प्रस्ताव :-</u>	<p>उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.10 के तहत प्रश्नगत भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नहीं है।</p> <p>अतः निम्न शर्तों के अध्यधीन आवेदित भूमि के परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है:-</p> <p>1. आवेदित भूमि पिण्डवाडा से आबू रोड जाने वाले राष्ट्रीय राज मार्ग पर स्थित है। सड़क का मार्गाधिकार आई.आर.सी. कोड के अनुसार 264 फीट रखते हुये सड़क के मध्य से 132 फीट भूमि मार्गाधिकार हेतु छोड़ी जानी होगी तथा उसके पश्चात 100 फीट भूमि वृक्षारोपण पट्टी हेतु आरक्षित रखी जावेगी।</p> <p>2. आवेदित भूमि में से गुजर रही विद्युत लाईन की क्षमता की जांच करवाते हुए उसको स्थानान्तरित की जावें या नियमानुसार उसके निचे खुला क्षेत्र छोड़ा जावें।</p>

समिति का निर्णय :- उपरोक्त तथ्यों, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, पिण्डवाडा एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली, ऐजेण्डा बिन्दुओं, अधिशाषी अधिकारी, पिण्डवाडा एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर द्वारा प्रेषित अभिशंषा एवं रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तथा निम्न शर्तों के अध्याधीन राजस्व ग्राम पिण्डवाडा-2 का खसरा नं. 2519/4 क्षेत्रफल 0.95 हैक्टेयर परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- आवेदित भूमि पिण्डवाडा से आबू रोड जाने वाले राष्ट्रीय राज मार्ग पर स्थित है। सड़क का मार्गाधिकार आई.आर.सी. कोड के अनुसार 264 फीट रखते हुये सड़क के मध्य से 132 फीट भूमि मार्गाधिकार हेतु छोड़ी जानी होगी तथा उसके पश्चात 100 फीट भूमि वृक्षारोपण पट्टी हेतु आरक्षित रखी जावेगी।
- भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन गुजर रही है। अतः विद्युत लाईन को अन्यत्र स्थानान्तरित कराया जायेगा अथवा विद्युत क्षमता के अनुसार आवेदित स्थल में से गुजर रही हाईटेंशन लाईन को नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक: प.18(44)नविवि/जयपुर/2014 दिनांक 03.02.2015 के अनुसार एच.टी. लाईन के नीचे सैफटी कॉरीडोर निर्धारित कर योजना की प्लानिंग में समायोजन किया जावेगा।
- योजना मानचित्रों का अनुमोदन टाउनशिप पॉलिसी-2010 के तहत नियमानुसार कराया जाना होगा।
- योजना में आंतरिक सड़कों के विकास में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा।
- योजना में ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा। नगरीय निकाय द्वारा कचरा संग्रहण की सुगमता की दृष्टि से उक्त स्थल की स्थिति योजना में मुख्य सड़क के

- समीप रखी जावेगी। उक्त भूमि निःशुल्क नगर पालिका को समर्पित की जावेगी। वेस्ट वाटर
रिसाईविलंग एवं रैन वाटर हार्डस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान रखा जावेगा।
- 6. योजना के आन्तरिक विकास की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी तथा टाऊनशिप पॉलिसी-2010
अनुसार आन्तरिक विकास के समस्त मानदण्डों की सुनिश्चिता की जानी होगी।
 - 7. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की
जावेगी।
 - 8. भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षैत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी।
 - 9. उपरोक्त समस्त शर्तों की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

दरिष्ठ नगर नियोजक
निवेशालय स्थानीय निकाय विभाग
चान्दूलहार राज्यपुर, जयपुर

ऐजेण्डा नं. 40 /डीएलबी/एसटीपी/जेडीजेड/फलौदी

शहर कस्बे का नाम	फलौदी
1. आवेदक का नाम	श्री राजेश पुत्र तुलसीदास, श्री कन्हैया लाल पुत्र श्री राधाकिशन राठी, श्रीमति सीमा देवी पत्नि श्री दीन दयाल राठी, श्री मोहन लाल पुत्र श्री बद्री नारायण राठी, श्रीमति सन्जू पत्नि श्री लाल चन्द राठी, श्री लाल चन्द पुत्र श्री गोकुल दास राठी
2. खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम एका भाटिया का खसरा नं. 60, 60/4, 60/6, 60/7, 60/8, 60/9, 60/10 कुल रकबा 29-00-10 बीघा
3. क्षेत्रफल	4.70 हैक्टेयर
4. संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज़ प्लान (2023)" में दर्शाया उपयोग	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र
5. आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	आवासीय प्रयोजनार्थ
6. भू-स्वामित्व की स्थिति	अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, फलौदी के अनुसार वैध है।
7. प्रकरण के तथ्य :-	<p>1. प्रश्नगत भूमि नगर पालिका, फलौदी के नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2023 में परिधि नियन्त्रण क्षेत्र में दर्शित है। मास्टर प्लान-2023 दिनांक 01.05.2012 को लागू किया गया, जिसे 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आवेदित भूमि फलौदी से जैसलमेर जाने वाले राज्य राजमार्ग संख्या 15 के दक्षिण दिशा में स्थित है। उक्त सड़क का मार्गाधिकार मास्टर प्लान व आई.आर.सी. के प्रावधान अनुसार 264 फीट आरक्षित है। साथ ही मास्टर प्लान अनुसार आवेदित भूमि में से 200 फीट चौड़ा बाई पास प्रस्तावित है। जिसके पश्चात 100 फीट चौड़ी वृक्षारोपण पट्टी भी आरक्षित है। आवेदित भूमि में से 1 निम्न क्षमता की विद्युत लाईन व 132 के.वी की 1 विद्युत लाईन गुजर रही है।</p> <p>2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, फलौदी द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना दो राज्य स्तरीय समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका में दिनांक 04.08.12 को व दैनिक नवज्योति में दिनांक 08.07.15 को प्रकाशित करवाई गई है। निर्धारित समयावधि में एक आपत्ति प्राप्त हुई, जिसका सक्षम स्तर से निस्तारण किया गया।</p> <p>3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, फलौदी द्वारा परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा भाग "ब" में की गई है।</p> <p>4. वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर के पत्र दिनांक 21.08.15 के द्वारा कतिपय शर्तों के अध्यधीन परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।</p> <p>8. उपरोक्त तथ्यों, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, फलौदी वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर की अभिशंषा एवं प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।</p>

समिति का निर्णय :- उपरोक्त तथ्यों, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, फलौदी एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली, ऐजेण्डा बिन्दुओं, अधिशाषी अधिकारी, फलौदी एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर द्वारा प्रेषित अभिशंषा एवं रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तथा निम्न शर्तों के अध्याधीन राजस्व ग्राम एका भाटिया का खसरा नं. 60, 60/4, 60/6, 60/7, 60/8, 60/9, 60/10 कुल क्षेत्रफल 4.70 हैक्टेयर का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- आवेदित भूमि फलौदी से जैसलमेर जाने वाले राज्य राजमार्ग संख्या 15 के दक्षिण दिशा में स्थित है। उक्त सड़क का मार्गाधिकार मास्टर प्लान व आई.आर.सी. के प्रावधान अनुसार 264 फीट आरक्षित है। साथ ही मास्टर प्लान अनुसार आवेदित भूमि में से 200 फीट चौड़ा बाई पास प्रस्तावित है। जिसके पश्चात 100 फीट चौड़ी वृक्षारोपण पट्टी भी आरक्षित है। अतः आवेदित भूमि से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 के केन्द्र से निर्धारित/प्रस्तावित दूरी में आने वाली भूमि प्रार्थी द्वारा निःशुल्क नगर पालिका के पक्ष में समर्पित की जावेगी। तथा प्रस्तावित 200 फीट चौड़े बाईपास में आने वाली भूमि प्रार्थी द्वारा निःशुल्क समर्पित की जावेगी। एवं साथ ही वृक्षारोपण पट्टी में किसी प्रकार का निर्माण अनुज्ञेय नहीं होगा। इस सम्बन्ध में नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.3(77)नविवि/3/2010/पार्ट-॥ जयपुर दिनांक 25.03.2013 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।
- योजना मानविक्रों का अनुमोदन टाउनशिप पॉलिसी-2010 के तहत नियमानुसार कराया जाना होगा।
- भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन गुजर रही है। अतः विद्युत लाईन को अन्यत्र स्थानान्तरित कराया जायेगा अथवा विद्युत क्षमता के अनुसार आवेदित स्थल में से गुजर रही हाईटेंशन लाईन को नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक: प.18(44)नविवि/जयपुर/2014 दिनांक 03.02.2015 के अनुसार एच.टी. लाईन के नीचे सैफटी कॉरीडोर निर्धारित कर योजना की प्लानिंग में समायोजन किया जावेगा।
- योजना में आंतरिक सड़कों के विकास में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा।

5. योजना में अर्फार्डेबल हाउसिंग पॉलिसी-2009 के प्रावधानों के तहत EWS/LIG हेतु निर्धारित प्रतिशत के भूखण्ड/भूमि/फ्लैट्स आरक्षित रखे जाने होंगे। जिनका निस्तारण राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जावेगा। उक्त में से 300 वर्गमीटर भूमि शहरी क्षेत्र के आवासहीन गरीब वर्ग को आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नगरीय निकाय को निःशुल्क समर्पित की जावेगी। इस भूमि पर नगरीय निकाय द्वारा केन्द्र/राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से रेन बसेरों का निर्माण किया जावेगा।
6. योजना में ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा। नगरीय निकाय द्वारा कचरा संग्रहण की सुगमता की दृष्टि से उक्त स्थल की स्थिति योजना में मुख्य सड़क के समीप रखी जावेगी। उक्त भूमि निःशुल्क नगर पालिका को समर्पित की जावेगी। वेस्ट वाटर रिसाइकिलिंग एवं रैन वाटर हार्ड्स्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान रखा जावेगा।
7. योजना के आन्तरिक विकास की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी तथा टाऊनशिप पॉलिसी-2010 अनुसार आन्तरिक विकास के समस्त मानदण्डों की सुनिश्चिता की जानी होगी।
8. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।
9. भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षैत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी।
10. उपरोक्त समस्त शर्तों की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

✓4/10

वरिष्ठ नगर नियोजक
निवेशालय स्थानीय निकाय विभाग
राजस्थान राज्यपाल, जयपुर